



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 3412/NOC-2447/18

दिनांक 07-3-18

सेवा में,

मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का नवीन रिटेल आउटलेट
द्वारा श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र
निवासी-अतुरा, तहसील-सादाबाद,
जनपद-हाथरस।

विषय:- पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु
निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आप अपने पत्र दिनांक 27.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें,
जिसमें आप द्वारा पूर्व निर्गत पत्रांक-1164/एन.ओ.सी.-2447/16, दिनांक 19.10.2016 द्वारा जारी
सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 31.12.2019 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया
है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिनांक 31.12.2019 तक बढ़ायी जाती है तथा
अनापत्ति प्रमाण पत्र की सभी शर्त पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय

(राम गोपाल)

क्षेत्रीय अधिकारी

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

Place : Agra

Date : 16-03-2018